(ख) स्तंभ (11) में, ''तकनीकी सहायक'' शब्दों के स्थान पर ''कनिष्ठ अभियंता (नौसेना गुणता आश्वासन)'' शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 2403/एई/डीक्यूए(एन)/डी(क्यूए)/2015] किरन माला कुजूर, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में संख्यांक का.नि.आ. 28, तारीख 18 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)

[DIRECTORATE OF QUALITY ASSURANCE (NAVAL)]

New Delhi, the 5th January, 2015

- S.R.O. 10.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate of Quality Assurance (Naval), Junior Technical Officer (Naval), Recruitment Rules, 2011, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, department of Defence Production, Directorate of Quality Assurance (Naval), Junior Technical Officer (Naval) Recruitment (Amendment) Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate of Quality Assurance (Naval), Junior Technical Officer (Naval), Recruitment rules, 2011, in rule 1, in clause (a), for the words "Junior Technical Officer (Naval)", the words "Ässistant Engineer (Naval Quality Assurance)" shall be substituted.
 - 3. In the Schedule, against serial number 1,-
- (a) in column (1), for the words "Junior Technical Officer (Naval),", the words "Assistant Engineer (Naval Quality Assurance)" shall be substituted;
- (b) in column (11), for the words "Technical Assistants", the words "Junior Engineer (Naval Quality Assurance)" shall be substituted.

[F. No. 2403/AE/DQA(N)/D(QA)/2015]

KIRAN MALA KUJUR, Under Secy.

Foot note: The principal rules were published in the Gazette of India Part II, Section 4 vide number S.R.O. 28, dated the 18th April, 2011.

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2015

का.नि.आ. 11.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (i) वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग समूह 'ख' और 'ग' (अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2006 और (ii) रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, निजी सचिव समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा उत्पादन विभाग के वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में समूह 'ख' राजपत्रित और अराजपत्रित (अनुसचिवीय पदों) पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 हैं।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धित आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

				अनुसूची			
पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन य	ांड और ग्रेड ग वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों लिए आयु–सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. निजी सचिव	*02 (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैं 9300-3 +ग्रेड वे 4600 रु	34800 रु. तन	चयन	लागू नहीं होता	
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		क्षिक	व्यक्तियों	िकए जाने वाले के लिए विहित	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		
				प्रोन्नत व्य	र शैक्षिक अर्हताएं क्तियों की दशा ोंगी या नहीं		
	(7)				(8)	(9)	
लागू	नहीं होता			लागू	नहीं होता	लागू नहीं होता	
ातिनियुक्ति या ३	तः भर्ती सीधे होग भामेलन द्वारा तथा व्यों की प्रतिशतता	ी या प्रोन्नति द्वारा या विभिन्न पद्धतियों द्वारा	भरी	प्रोन्नति या जिनसे प्रोन्नति	प्रतिनियुक्ति या आमेल या प्रतिनियुक्ति या अ	न द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, नामेलन किया जाएगा	
(10)				(11)			
प्रोन्नित द्वारा				प्रोन्नतिः			
				वतन 4200 रु.	की श्रेणी में पाँच वर्ष	तिन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड िकी नियमित सेवा है (अभ्यर्थियों को त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना	

टिप्पण 1:-जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तक जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने उपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2:-प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है, तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा (12) (13)समृह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक संबंध में विचार करने के लिए):-नहीं है। अपर महानिदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन -अध्यक्ष 2. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से निदेशक -सदस्य 3. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से संयुक्त निदेशक -सदस्य (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2. आशुलिपिक *24 (2015) साधारण केन्द्रीय वेतन बैंड-2. लागू नहीं होता तीस वर्ष से अन्धिक श्रेणी-1 *कार्यभार के सेवा, समूह 'ख', 9300-34800 ₹. (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर आधार पर अराजपत्रित, +ग्रेड वेतन जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों परिवर्तन किया अनुसचिवीय 4200 ₹. के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए जा सकता है। 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण :-आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख होगी जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)
(8)
(9)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से बारहवीं लागू नहीं होता सीधे भर्ती और प्रोन्नत किए जाने कक्षा पास प्रमाणपत्र या समतुल्य वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष
(ii) कौशल परीक्षण-100 शब्द प्रति मिनट की दर से 10
मिनट का श्रुति लेख (हिन्दी या अंग्रेजी)।
प्रतिलेखन.-कम्प्यूटर पर 40 मिनट (अंग्रेजी) और 55 मिनट
(हिन्दी)।

(10)

(11)

75 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा और 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नतिः

ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-2 जिनकी वेतन बैंड-2, वेतनतान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. की श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा है (अभ्यर्थियों को प्रशासन के क्षेत्र में दो से तीन सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा)।

टिप्पण 1:-जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तक जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2:-प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति या आमेलन--केन्द्रीय सरकार या राजय सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे आशुलिपिक जो,-

- (क) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
- (ख) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य में दस वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1:-पोषण प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2:-प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी

अन्य काडर बाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति की अविध है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3:-प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्यन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए):—

वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, मुख्यालय से निदेशक —अध्यक्ष

 वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी की पंक्ति का एक अधिकारी

3. किसी अन्य रक्षा स्थापन से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी की पंक्ति का एक अधिकारी

—सदस्य

—सदस्य

-सदस्य

समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):

वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, मुख्यालय से निदेशक —अध्यक्ष

 वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी की पंक्ति का एक अधिकारी

 किसी अन्य रक्षा स्थापन से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी की पंक्ति —सदस्य का एक अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा सं. 2523/भर्ती नियम (समूह 'ख' अनुसचिवीय)/डीजीएक्यूए/प्रशा.-II/डी (एचएएल)]

अजीत सिंह इन्दोरा, उप निदेशक (भर्ती)

(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 21st January, 2015

S.R.O. 11.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the (i) Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Department of Defence Production, Ministry of Defence Group 'B' and 'Ç' (Ministerial Posts) Recruitment Rules, 2006 and (ii) the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Private Secretary Group 'B' post, Recruitment Rules, 2005, except as in respect of things done or omitted to be done before such supersessions, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of Group 'B' Gazetted and Non-Gazetted (Ministerial posts) in the Directorate General of Aeronautical Quality Assurance in the Department of Defence Production under the Ministry of Defence, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2015.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
 - 4. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE							
Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non- selection post	Age limit for direct recruits		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1. Private Secretary	*02 (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Pay band-2, ₹9300- 34800-plus Grade Pay of ₹4600	Selection	Not applicable.		
Educational and direct recruits	5	ions required for	Whether age as qualifications p direct recruitme case of promot	prescribed for ent will apply in	Period of probation, if any		
(7) Not applicable.			(8)	(9)		
			Not app	licable	Not applicable.		
or by promotic	on or by deputat	ner by direct recruit tion or absorption a filled by various meth	nd absorption	f recruitment by grades from wh n to be made	promotion or deputation or nich promotion/or deputationor		
	(10)			(11)			
By promotion.			Promotio	Promotion:			
			Stenograp plus grade	Stenographer Grade-I in the Pay Band-2, ₹9300—34800 plus grade pay of 4200/- with five years regular service			

in the grade (the candidate has to successfully complete two to three weeks training in the field of Administration).

Note 1:-Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qulifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is Circumstances in which Union Public Service its composition Commission is to be consulted in making recruitment (12)(13)Group 'B' Gazetted Departmental Promotion Committee (for Consultation with Union Public Service considering Promotion):-Commission is not necessary. 1. Additional Director General, Aeronautical Quality -Chairman 2. Director from Directorate General Aeronautical Quality Assurance -Member 3. Joint Director from Directorate General Aeronautical Quality Assurance -Member (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2. Stenographer *24(2015) General Central Pay band-2, Not Not exceeding 30 years. Grade-1 *Subject to Service, Group ₹9300applicable. (Relaxable upto five years for variation 'B', Non-Gazetted, 34800-plus Government Servants in accordance dependent Ministerial Grade Pay with the instructions ororders on workload. of ₹ 4200 issued by the Central Government). Note: - The crucial date for determining the age-limit shall be the clossing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland,

		(6)
		Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti districts and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
(7)	(8)	(0)
(i) Class 12th pass Certificate from a recognised	Not applicable	(9)
board or university or equivalent.		Two years for direct
(ii) Skill Test.—Dictation 10 minutes @ 100 words		recruits and promotees.
per minute (Hindi or English).		
Transcription—40 minutes (English) and 55 per		
minute (Hindi) on computer.		
(10)		(11)

by direct recruitment and 25 per cent by promotion.

Stenographer Grade-II in the Pay Band-1, Pay Scale ₹ 5200—20200 plus grade pay of ₹ 2400/- with ten years regular service in the grade (the candidate has to successfully complete two to three weeks training in the field of Administration).

Note 1:—Where juniors have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qulifying or eligibility service.

Note 2:-For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation/Absorption.—Stenographer in Central Government or State Government or Union Territories.

- (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (b) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Pay band-1, ₹ 5200—20200 and grade pay 2400 or equivalent in the parent cadre or Department.

Note 1:- The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be

eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2:—Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1-1-2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the correspondig grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for deputation. considering Promotion):-

UPSC consultation is necessary for

(13)

Director from HQ Directorate General, Aeronautical
 Quality Assurance

—Chai

—Chairman

 One Officer of the rank of Principal Scientific Officer from Directorate General Aeronautical Quality Assurance

—Member

3. One officer of the rank of Principal Scientific Officer from any other Defence Establishment

-Member

Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation):-

 Director form HQ Directorate General, Aeronautical Quality Assurance

-Chairman

 One Officer of the rank of Principal Scientific Officer from Directorate General Aeronuatical Quality Assurance

-Member and

3. One officer of the rank of Principal Scientific Officer from any other Defence Establishment

-Member

[F. No. 2523/RR /Group 'B' Ministerial/DGAQA/Adm-II/D (HAL)]